संख्या-8/2017/384/क0नि0प्र0/26-3-2017-16(22)/2016

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,
महानगर, लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊः दिनांकः 02 मई,2017
समाज कल्याण विभाग

विषयः वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2300 दिनांक 23 जनवरी, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं को स्वीकृत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016 दिनांक 03 जनवरी,2017 में निहित व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाएं 01 जनवरी,2016 से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उक्त कार्मिकों को मँहगाई भत्ता सार्वजनिक उद्यम अनुभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 03 जनवरी,2017 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था यथावत् रहेगी। निगम के कार्मिकों को वर्तमान में मिल रहे अन्य भत्ते/सुविधाओं को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में यथावत रखा जायेगा।

4- राज्य कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण एवं वार्षिक वेतन वृद्धियां अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के उक्त शासनादेश दिनांक 03 जनवरी,2017 में निहित व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्मिकों के लिए भी लागू होगा।

5- उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इस संबंध में आने वाला अतिरिक्त व्यय भार निगम अपने स्रोतों से वहन करेगा और इस हेतु कोई वित्तीय सहायता शासन द्वारा देय न होगी।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-8/2017/384/(1)/क0नि0प्र/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।
4. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
5. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन।
6. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in